# छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

## द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर— 492 006

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फैक्स : (0771) 4066425 ई—मेल : visitcg@gmail.com


क्र. २५५१ /यो./प.मं./17 रायपुर, दिनांक 31 AUG 20

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सुरजपुर

विषयः— सुरजपुर जिले के सुरजपुर वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 1531 में पर्यटन गतिविधि के लिए 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु (रोप वे निर्माण) छ.ग. पर्यटन मंडल को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाइन पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4278, दिनांक 17.01.2017 एवं पत्र क्रमांक 23.05.2017। आपका आदेश पत्र क्रमांक 446, दिनांक 21.08.2017।

—0—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा सुरजपुर जिले के सुरजपुर वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 1531 में पर्यटन गतिविधि के लिए 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (रोप वे निर्माण) हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही हेतु आन लाईन पंजीयन कराया जा रहा है। आन लाईन पंजीयन उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा वनमंडलाधिकारी, सुरजपुर वन मंडल के सहयोग से 44 बिंदूओं का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को तैयार करने अंतर्गत निम्नानुसार प्रमाणपत्र प्रदान करने संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको लेख किया गया है —

1. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाणपत्र।
2. 44 बिंदूओं के प्रस्ताव तैयार करने अंतर्गत बिंदू क्रमांक 21 अनुसार गैर वन भूमि अनुपलब्धता का मुख्य सचिव महोदय से प्रमाणपत्र।
3. 44 बिंदूओं के प्रस्ताव तैयार करने अंतर्गत बिंदू क्रमांक 35 अनुसार आवेदित वन भूमि के राजस्व वन भूमि नहीं होने का प्रमाणपत्र।

उक्त में से आपके द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से बिंदू क्रमांक 1 अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाणपत्र दिया गया है।

पुनः अवगत होना चाहेंगे कि पर्यटन मंडल द्वारा आवेदित 0.797 हेक्टेयर वन भूमि में से 0.176 हेक्टेयर भूमि राजस्व वन भूमि है एवं शेष भूमि 0.621 हेक्टे. संरक्षित वन भूमि है, अतः कृपया उक्त राजस्व वन भूमि 0.176 हेक्टे. का नक्शा एवं खसरा की सत्यापित प्रति एवं उपरोक्त बिंदू क्रमांक 2 अनुसार गैर वन भूमि अनुपलब्धता का मुख्य सचिव महोदय से प्रमाणपत्र शीघ्र छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

Sd/-
महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

पृ.क्र. २५५२ /यो./प.मं./17 रायपुर, दिनांक 31 AUG 2017

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपरप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध), वन विभाग अरण्य भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर सूचनार्थ।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सुरजपुर, जिला सुरजपुर की ओर सूचनार्थ।
5. श्री सौरभ वर्मा, प्रभारी सैला पर्यटक रिसॉर्ट, मैनपाट, जिला सरगुजा की ओर आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित।
6. श्री भीमसेन अग्रवाल, सुरजपुर, जिला सुरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

31/8/17
महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

FRA

FORM-II

*(for project other than linear projects)*

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Surajpur

****

No. 446

Case no- 40/B-121/2016-17

Dated 21/08/2017

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 0.176 hectares of Revenue forest land and 0.621 hactares of protected forest land i:e; 0.797 hactares land proposed to be diverted in favour of **Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board** for **Roap way** in **Surajpur** district falls within Jurisdiction of **Kudargarh** village(s) in **Odgi** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.797 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **10**.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **kudargarh** village(s) is enclosed as annexure **01** to annexure **02**.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The Rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA. Proposal do not have such groups.

**Encl.: As above.**

प्रमुख/ योजना शाखा

**(K.C.Devasenapathi)**
**COLLECTOR**
**DIST. – SURAJPUR**

2282

26 AUG 2017

28/08/17

Atul